Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 53/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती मीरा देवी पत्नी शैतानराम जाति मेघवाल निवासी थीरोड तहसील व जिला नागौर जरिये आम मुख्त्यार श्यामसुन्दर पुत्र ईश्वर दास जाति अग्रवाल निासी 476 पाल लिंक रोड, जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–5–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 472/2015 अनवान श्यामसुन्दर गर्ग बनाम सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26–12–2019

इस अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 413 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलार्थियां ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से खरीद की थी तथा रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थियां के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 908 स्वीकृत किया गया तथा अपीलार्थियां का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ । अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियां की ग्राम बीनावास स्थित खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 413 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि की पूर्व मे सही तरमीम की गई थी परंतु वर्तमान हल्का पटवारी ने मनमर्जी से प्रार्थीयां की सहमति के बिना एवं प्रार्थियां को सुनवाई का नोटिस दिये बिना मौका स्थिति को बदलकर राजस्व नक्शे मे गलत तरमीम कर दी तथा प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि पटवारी को किसी खातेदार की कृषि भूमि को अपनी मनमर्जी से तरमीम करने, नया नक्शा बनाकर वस्तुस्थिति को बदलने का कोई कानूनी अधिकार नही है इसलिए पटवारी हल्का द्वारा नक्शे मे की गई गलत तरमीम को निरस्त करने तथा पूर्व की वस्तुस्थिति कायम करने का निवेदन किया । अपीलार्थियां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली जो कि अधीनस्थ न्यायालय के रेगुलर कोर्ट मे तारीख पेशियों मे

pdfelement

Remove Watermark Now

चल रही थी, उसे लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र चान्देलाव मे रखते हुए अपीलार्थियां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के मंशा के अनुरूप नही होने से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2018 को खारीज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियां ने उक्त प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना राजस्व लोक अदालत केम्प चान्देलाव मे पत्रावली को रखते हुए अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थियां को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलार्थियां का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा के अनुरूप नही होना मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है । अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थियां द्वारा खरीद की गई भूमि मूल खसरा नंबर 413 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा थी, उससे पहले अपीलार्थियां के पति शैतानराम द्वारा खरीद की गई खसरा नंबर 413 की 10 बीघा भूमि का खसरा नंबर 413/2 था उसमे से 7 बीघा एवं 3 बीघा का संपरिवर्तन करने के बाद जब अलग बट्टा नंबर लगाया तो रकबा 7 बीघा का खसरा नंबर 413/2 औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं रकबा 3 बीघा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ का खसरा नंबर 413/2/1 दर्ज करना चाहिये था परंतु पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 413/2/1 के स्थान पर खसरा नंबर 413/4 दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस मे तरमीम करते वक्त उसका स्थान ही बदल दिया, जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड से साबित है जिसे धारा 136 व 131 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये उपखण्ड अधिकारी को अपने आदेश के जरिये दुरस्त करना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे किसी लिपिकीय त्रुटि से किये गये इन्द्राज एवं जानबूझकर किये गये गलत इन्द्राजो को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा दुरस्त किया जा सकता है । अपीलांट अधिवक्ता ने इसी

pdfelement

Remove Watermark Now

के निरंतर मे कथन किया कि अपीलार्थियां की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि मूल खसरा नंबर 413 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा है, जो सडक से लगती भूमि है जिसमे से 3 बीधा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का नामांतरकरण स्वीकृत कर खसरा नंबर 413/3 रकबा 3 बीघा अलग दर्ज कर दिया परंतु उसकी तरमीम भी गलत कर दी जिसके कारण अपीलांट की खसरा नंबर 413 की 18 बीधा 17 बिस्वा भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न नही हो सकी इसलिए तरमीम शुद्वि करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना रेकर्ड एवं मौके की जांच किये खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे बताया कि राजस्व रेकर्ड मे यदि सही रकबे का इन्द्राज किया हुआ है परंतु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे मे गलत जगह कर दी गई हो, तो उसे दुरस्त करने का धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान दिये हुए है तथा ऐसी दुरस्ती करने का अधिकार नियमो मे उपखण्ड अधिकारी को ही प्रदत्त है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कानूनी प्रावधान का अध्ययन किये अपीलार्थियां के प्रार्थना पत्र को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा के अनुरूप नही होने का उल्लेख करते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना अपीलार्थियां को नोटिस जारी किये तथा सुनवाई किये पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो पाने तथा जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को सद्भाविक मानते हुए अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया तथा अंत मे अपीलांट अधिवक्ता ने अपीलार्थियां की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–8–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम बीनावास के खसरा नंबर 413 के बट्टा नंबरान की दुरस्ती की जाकर खसरा नंबर 413/4 के स्थान पर खसरा नंबर 413/2/1 एवं इसी अनुसार खसरा नंबर 413/2 नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती के आदेश पारित करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये नक्शे मे हुई तरमीम को दुरस्त करवाने बाबत निवेदन किया था जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे केवल लिपिकीय त्रुटि को

Remove Watermark Now

ही शुद्ध करने का प्रावधान होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22–3–2018 मे सरकारी पैरोकार को जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली दिनांक 25–4–2018 को रखी गई थी तथा दिनांक 25–4–2018 से पूर्व ही एक सीलनुमा आदेशिका दिनांक 20–4–2018 के जरिये पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र चान्देलाव मे दिनांक 28–5–2018 को रखने तथा सभी पक्षकारो को लोक अदालत के नोटिस जारी करने के आदेश अवश्य पारित किये गये परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पक्षकारो को दिनांक 28–5–2018 के लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र चान्देलाव के नोटिस जारी होना नही पाया जाता है और न ही अपीलांट के अधिवक्ता को पत्रावली केम्प मे रखने की सूचना दी गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति बताते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व तथा अन्य रेकर्ड को बिना देखे तथा उन पर विचार किये बिना जल्दबाजी मे अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के मंशा के अनुरूप नही होना मानकर खारीज कर दिया जबकि प्रार्थना पत्र मे केवल गलत धारा का उल्लेख कर देने मात्र से अपीलार्थियां के आवेदन को खारीज नही किया जाना चाहिये था क्योकि उपखण्ड अधिकारी को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड मे हुई कोई लिपिकीय त्रुटि का दुरस्त करने का तथा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्शे मे त्रुटिपूर्ण हुई तरमीम को भी दुरस्त करने का अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रेकर्ड का अवलोकन कर अपीलार्थियां को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णित किया जाना चाहिये था जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम बीनावास की जमाबंदी अनुसार अपीलार्थियां खसरा नंबर 413 मे 21.17 बीघा भूमि की रेकर्डेड खातेदार है । अपीलार्थियां एवं उसके पति शैतानराम ने खसरा नंबर 413 मे से खरीदसुदा अपने खातेदारी की भूमि का विधिवत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर से प्राप्त किये थे जो भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध थे । मूल खसरा नंबर 413 की भूमि मे से वाणिज्यिक एवं

pdfelement

Remove Watermark Now

औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी होने के बाद मूल खसरा नंबर 413 के नये बट्टा नंबर पडे परंतु नक्शे मे तरमीम राजस्व रेकर्ड के अनुरूप नही होने से उसे दुरस्त करवाने हेतु अपीलार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–5–2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा को निर्णय मे दिये गये ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर अपीलार्थियां को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब कर नक्शा ट्रेस मे की गई तरमीम को दुरस्त करने संबंधी पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:34:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: